

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / FW / 70-4 / 2015-16 / 757675 दिनांक : 26.10.2015
विषय : परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों हेतु संशोधित प्रपत्रों का प्रारूप प्रेषित किए जाने सम्बन्धी।
महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित प्रपत्रों के प्रारूप आपको पूर्व में प्रेषित किये गये थे। राज्य स्तरीय अधिकारियों ने अपने जनपदों के भ्रमण के दौरान यह पाया कि जनपदों में उपलब्ध प्रारूपों में एकरूपता नहीं है। उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त प्रारूपों में पुनः संशोधन करते हुए पत्र के साथ संलग्न द्वितीय संशोधित प्रपत्रों का प्रारूप आपके स्तर से मुद्रण कराये जाने हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

उपरोक्त प्रपत्रों के मुद्रण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में एफ.एम.आर.कोड ए.3.5.5.1 पर वित्त की व्यवस्था की गई है। विकसित प्रारूपों पर सम्बन्धित गतिविधियों का रिकार्ड जनपद की सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों में रखा जाना है।

तत्क्रम में, आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित द्वितीय संशोधित प्रारूपों को शीघ्र अतिशीघ्र मुद्रित कराकर जनपद की सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें -

- नसबन्दी हेतु आवेदन एवं सहमति पत्र प्रारूप।
- नसबन्दी पश्चात निर्देश कार्ड।
- नसबन्दी प्रमाण पत्र।
- फ़ैमिली प्लानिंग इनडैमनिटी स्कीम के लिए दावा प्रपत्र।
- लक्ष्य दम्पति रजिस्टर प्रारूप दिशा निर्देशों के साथ।
- मेडिकल रिकार्ड एवं चेकलिस्ट (महिला एवं पुरुष नसबन्दी) प्रारूप।
- आई.यू.सी.डी. इनसर्शन रजिस्टर व फालोअप रजिस्टर प्रारूप दिशा निर्देशों के साथ।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी. इनसर्शन रजिस्टर व फालोअप रजिस्टर प्रारूप दिशा निर्देशों के साथ।
- परिवार नियोजन रजिस्टर प्रारूप दिशा निर्देशों के साथ।

उपरोक्तानुसार, आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे। प्रपत्रों का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर ई मेल के माध्यम से भी प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक - प्रपत्रों का प्रारूप।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
दिनांक 26/10/15

पत्र संख्या : एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / FW / 70-4 / 2015-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकि० स्वा० एवं० प० क०, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

खुशहाल परिवार का मंतर - दो बच्चों में तीन साल का अंतर।।